I/113574/2023
!/113574/2023

संख्याः I/113574/ E-51940/FCD/IRFC/FFCG/2023

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1

::देहरादूनः: दिनांकः 11 अप्रैल, 2023

विषयः– **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आबद्ध/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में अंतरित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं–F-15(3) FC-xv/FCD/ 2020-25, दिनांकः 24.03.2023 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में आबद्ध/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्ड सहित) के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 की प्रथम किश्त हेतु ₹65.10 करोड़ (₹पैंसठ करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है।

2– उपर्युक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में भारत सरकार के उपर्युक्त शासनादेश दिनांकः 24.03.2023 द्वारा आबद्ध/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त ₹65.10 करोड़ (₹पैंसठ करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्ड सहित) को अंतरित किये जाने हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.सं.	निकाय का नाम	आबद्ध/निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु निकायों को अंतरित धनराशि की फॉट (हजार ₹ में)
1–	नगर निगम	251182.00
2–	नगर पालिका परिषद	295139.00
3–	नगर पंचायत	81634.00
4–	छावनी बोर्ड	23045.00
	योग	**651000.00**

3– उपर्युक्त अनुदान की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अन्तर्गत अंतरित की जा रही है:–

(1) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कियान्वयन के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों हेतु संस्तुत अनुदान के उपयोग हेतु भारत सरकार ने शासनादेश सं0–F.15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 28.07.2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति पूर्व में ही शहरी विकास विभाग को प्रेषित की गई है। उक्त शासनादेश में दिये गये दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान की धनराशि का सदुपयोग किया जायेगा। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–6 एवं 7 में वर्णित दिशा–निर्देशों का अक्षरतः पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/(वि.आ.निदे.)/ xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं विभागीय पत्रावली में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी बोर्डो के बीच अनुदान की धनराशि का पारस्परिक वितरण किया गया है।

(3) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर

1

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 11/04/2023 01:49 PM

I/113574/2023

निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) एवं छावनी बोर्डो को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।

(4) अंतरित की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांकः 24.03.2023 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति में ब्याज सहित धनराशि का भुगतान किश्त के साथ संबंधित निकायों को किया जायेगा, जिसके लिये *निदेशक, शहरी विकास विभाग/ संबंधित मुख्य कोषाधिकारी* पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) को दो बराबर भाग में (50-50 प्रतिशत) विभाजित कर निम्नवत उपयोग किया जायेगाः–

a. **अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चकण सहित) हेतु किया जायेगा।**

b. **अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (MoH & UA) द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति के लिए किया जायेगा।**

(6) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अंतरित धनराशि हेतु प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पृथक से खाता खोला जायेगा और इसे वर्ष 2021–22 में पी.एफ.एम.एस. से लिंक कर प्रत्येक हस्तांतरण को आयोग की अवार्ड अवधि में संरिक्षत किया जाय।

(7) वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के पहले वर्ष में शहरी विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कम से कम 25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष के गैर–लेखा परीक्षित लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध करा दिये गये हैं ताकि उस वर्ष में पूर्ण अनुदान की धनराशि प्राप्त हो सके।

(8) संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने तथा उसे 2021–22 में उसका प्रचालन की संगत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(9) किसी वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष के लिए 15 मई तक रियल टाइम आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए 2020–21 के लिए ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई, 2021 तक उपलब्ध कराना होगा।

(10) वर्ष 2023–24 से आगे के वर्षो में अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत निर्धारित की गई हैः–

i. राज्य स्तर पर 2022–23 तक संपत्ति कर दर की न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

ii. पिछले वर्ष के गैर–लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित ऑनलाइन लेखा उपलब्ध हैं।

iii. शहरी स्थानीय निकाय ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा कर लिया है।

(11) स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के संबंध में शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा।

(12) अंतरित धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर–I व II पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी बोर्ड सहित) संकलित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(14) अंतरित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी तथा छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 31 मई, 2023 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 11/04/2023 01:49 PM

(15) नगर विकास विभाग समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(17) शहरी विकास विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से 01 नई नगर पालिका परिषद तथा 10 नई नगर पंचायतें गठित की गई है। उक्त निकायों को भी निर्धारित प्रक्रियानुसार 15वें वित्त आयोग की धनराशि अंतरित की जा रही है। ***नई निकायों के सम्मिलित होने से कतिपय निकायों की धनराशि में कमी/ वृद्धि हो सकती है। इस संबंध में निकायों द्वारा कोई प्रत्यावेदन अथवा दावा नहीं किया जायेगा और ना ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।***

(18) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **"15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य"**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत अवश्य इंगित की जायेगी।

(19) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(20) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 की अनुदान संख्याः 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगाः–

क.सं.	मानक मद का विवरण	आबद्ध/ अनर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि (ह0रू0 में)
1–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (गैर वेतन)	251182.00
2–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–04–नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (गैर वेतन)	295139.00
3–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–06–नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (गैर वेतन)	81634.00
4–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–14–केन्द्रीय वित्त आयोग से केन्टोंमेन्ट बोर्ड हेतु प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (गैर वेतन)	23045.00
	योग	**651000.00**

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 10-04-2023 17:56:10
(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 11/04/2023 01:49 PM

I/113574/2023

I/113574/2023

संख्याः I/113574/ E-51940/FCD/IRFC/FFCG/2023, तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/ उप कोषाधिकारी, देहरादून।
10. समस्त संबंधित मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी/ मुख्य अधिशासी अधिकारी–नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं छावनी बोर्ड, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

4

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 11/04/2023 01:49 PM

I/113575/2023

::देहरादूनः: दिनांकः 11 अप्रैल, 2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्डो सम्मलित) को वित्तीय वर्ष 2022–23 की प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में अंतरित किये जाने हेतु विवरण

(धनराशि हजार ₹ में)

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–नगर निगमः–				
1-	देहरादून	1	देहरादून	95341
		2	ऋषिकेश	12964
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	28093
		4	रूड़की	22985
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	29476
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	20733
		7	रूद्रपुर	23092
5-	पौड़ी गढवाल	8	कोटद्वार	18498
योग (1) नगर निगम				**251182**
2–नगर पालिका परिषद				
1-	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	9455
		2	रानीखेत	3272
2-	बागेश्वर	3	बागेश्वर	6747
3-	चमोली	4	गोपेश्वर	6511
		5	जोशीमठ	7390
		6	गौचर	4406
		7	कर्णप्रयाग	4094
4-	चम्पावत	8	चम्पावत	4323
		9	टनकपुर	4810
5-	देहरादून	10	मसूरी	15851
		11	विकासनगर	6124
		12	डोईवाला	11726
		13	हरबर्टपुर	3366
6-	हरिद्वार	14	मंगलौर	10100
		15	लक्सर	5527
		16	शिवालिक नगर	7094
7-	नैनीताल	17	नैनीताल	11478
		18	रामनगर	11491
		19	भवाली	3771
8-	पौड़ी गढ़वाल	20	दुगड्डा	3382
		21	पौड़ी	8544
		22	श्रीनगर	8157

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 11/04/2023 01:50 PM

I/113575/2023

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9-	पिथौरागढ़	23	पिथौरागढ़	13011
		24	धारचूला	4314
		25	डीडीहाट	4314
10-	रूद्रप्रयाग	26	रूद्रप्रयाग	4684
11-	टिहरी	27	नरेन्द्रनगर	2899
		28	मुनिकीरेती–ढालवाला	7070
		29	टिहरी	7439
		30	चम्बा	2959
		31	देवप्रयाग	4361
12-	ऊधम सिंह नगर	32	बाजपुर	6523
		33	गदरपुर	5113
		34	जसपुर	10648
		35	खटीमा	11179
		36	किच्छा	14545
		37	सितारगंज	6915
		38	महुआखेड़ा गंज	3316
13-	उत्तरकाशी	39	उत्तरकाशी	7746
		40	बड़कोट	4094
		41	चिन्यालीसौंड़	4094
		42	नगला (नव गठित)	12296
योग (2) नगर पालिका परिषदें:–				**295139**
3–नगर पंचायतें:–				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	1072
		2	भिक्यासैण	894
		3	चौखुटिया	894
2-	बागेश्वर	4	कपकोट	806
		5	गरूड़	894
3-	चमोली	6	नन्दप्रयाग	1356
		7	गैरसैंण	2063
		8	पोखरी	1458
		9	थराली	1060
		10	पीपलकोटी	1478
4-	चम्पावत	11	लोहाघाट	1745
		12	बनबसा	871
5-	देहरादून	13	सेलाकुई (नव गठित)	2384
6-	हरिद्वार	14	झबरेड़ा	2163
		15	लण्ढौरा	3522
		16	भगवानपुर	2215
		17	पीरान कलियर	3794
		18	सुल्तानपुर–आदमपुर (नव गठित)	2078

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि
1	2	3	4	5
		19	पाडली गुर्जर (नव गठित)	2803
		20	ढण्ढ़ेरा (नव गठित)	2947
		21	रामपुर (नव गठित)	3502
		22	इमलीखेड़ा (नव गठित)	1523
7-	पौड़ी गढ़वाल	23	जौंक (स्वर्गाश्रम)	2011
		24	सतपुली	1124
		25	थैलीसैंण (नव गठित)	903
8-	पिथौरागढ़	26	गंगोलीहाट	1269
		27	बेरीनाग	1344
9-	रूद्रप्रयाग	28	अगस्तमुनी	1975
		29	ऊखीमठ	1421
		30	तिलवाड़ा	894
10-	टिहरी गढ़वाल	31	कीर्तिनगर	1513
		32	घनसाली	1298
		33	लम्बगॉव	894
		34	चमियाला	896
		35	गजा	839
		36	तपोवन (नव गठित)	748
11-	नैनीताल	37	कालाढूंगी	1640
		38	लालकुँआ	1533
		39	भीमताल	3540
12-	ऊधमसिंह नगर	40	दिनेशपुर	2377
		41	केलाखेड़ा	2181
		42	महुआडाबरा हरिपुरा	1608
		43	,शक्तिगढ़	1681
		44	सुल्तानपुर	1995
		45	नानकमत्ता	1193
		46	गुलरभोज	983
		47	लालपुर (नव गठित)	748
13-	उत्तरकाशी	48	पुरोला	2220
		49	नौगॉव	1284
योग (3) नगर पंचायत:–				**81634**
4–छावनी बोर्ड :–				
1-	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	406
		2	रानीखेत	3441
2-	देहरादून	3	चकराता	932
		4	क्लेमेन्टाउन	4113
		5	देहरादून	9604
		6	लेफ्डौर	646

I/113575/2023

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध / निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3-	पौड़ी	7	लैंसडाउन	1032
4-	नैनीताल	8	नैनीताल	255
5-	हरिद्वार	9	रूड़की	2616
योग (4) छावनी बोर्ड				**23045**
महायोग (1+2+3+4)		108		**651000**

(₹पैंसठ करोड़ दस लाख मात्र)

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

Signed by C Ravi Shankar
Date: 10-04-2023 17:56:24

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 11/04/2023 01:50 PM

I/113575/2023

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	आबद्ध / निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किश्त हेतु अंतरित धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3-	पौड़ी	7	लैंसडाउन	1032
4-	नैनीताल	8	नैनीताल	255
5-	हरिद्वार	9	रूड़की	2616
योग (4) छावनी बोर्ड				**23045**
महायोग (1+2+3+4)		108		**651000**

(₹पैंसठ करोड़ दस लाख मात्र)

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

Signed by C Ravi Shankar
Date: 10-04-2023 17:56:24

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 11/04/2023 01:50 PM